APP-1
crim-I

92
26.05.23

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा बमुकाम

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा बनाम अदरीस खां

किस्म मुकदमा 130,131,136 राजस्व नं. 147 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.5.23	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग–2023 अभियान ग्रम पंचायत भाखरसर मे दिनांक 30.4.2023 आयोजित शिविर मे ग्रामिणों के द्वारा अभिवेदन के आधार पर प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा ने पत्र क्रमांक /भू.अ./2023/1600 दिनांक 25.5.2023 द्वारा विस्तृत जांच रिपोर्ट संलग्न करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59, 60, 66, 56 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र आमजन से सम्बन्धित है व विप्रार्थीगण द्वारा सहमति पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है । जिससे विप्रार्थी तलबी शेष नही होने पर प्रार्थी की बहस सुनने का निवेदन किया गया । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर निवेदन पर बहस सुनी गयी । दौराने बहस प्रार्थी ने कथन किया कि जिसमे पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे बतौर रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, को रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये है के क्रमः मे ग्राम **खिदुपरा, पटवार हल्का खनोडा, भू.अ.निरीक्षक बडनावा मे खिदुपुरा से मौजी खां की ढाणी तक** खसरा नम्बर **115** भूमि **किस्म बारानी सोयम** भूमि मे बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक चल रही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:20:48 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर) 26.5.2023
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

तारीख हुक्म	
	है को सम्बन्धित खातेदारो की खातेदारी मे रखते हुए जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के तथा नक्शा परिशिष्ट "ब" सम्बन्धित खसरे की जमाबंदीया परिशिष्ट "स" है। बहस जो जारी करते हुए कथन किया कि विप्रार्थीगण का सहमत पत्र संलग्न है। अतः तलबी की आवश्यकता नही रही है। प्रकरण आमजन से सम्बन्धि है, मौके पर रास्ता चालू है, रास्ता बाबत किसी न्यायालय मे स्थगन व विवाद नही है । अतः मे निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता दर्ज करने का आदेश फरमाएं ।
	'प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलंदार पचपदरा के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।
	विप्रार्थीगण के द्वारा इस रास्ता को राजस्व रेकर्ड में कटान करने की सहमति स्वरूप शपथ–पत्र उक्त आवेदन पत्र के संलग्न प्रस्तुत किये गये है। विप्रार्थी सरपंच ग्राम पंचायत खनौडा ने स्वंय को सुना गया रास्ते हेतु सहमति प्रकट कर निवेदन किया गया कि रास्ता जनहित में होने से रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित है। रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया।
	प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा एवं सरपंच ग्राम पंचायत खनौडा की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन एवं समूची स्थिति पर विवेचन किया गया । उक्त प्रकरण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है,मौके पर पुराने समय से

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek
Date: 2023.06.29 14:20
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज (3)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रास्ता चालू हालत मे मोजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है। जो आमजन से सम्बन्ध है । रास्ते के सम्बन्ध मे विप्रार्थीगण की आपसी सहमती होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिया जाता है कि ग्राम खिदुपूरा के **खसरा नम्बर 115 रकबा 13.9050 हैक्टेयर भूमि किस्म.बारानी सोयम** भूमि मे खिंदपूरा से मौजी खां की ढाणी तक चल रहे रास्ते को प्रस्तावित परिशिष्ट ''अ'' परिवर्तन खतौनी में वर्णित रास्ता राजस्व रेकर्ड मे अंकन करने का आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते है । उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत अनुसार सबंधित खातेदारान के नाम खाते मे ही दर्ज रहेगा । तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तावित तरमीम खतौनी परिशिष्ट ''अ'' एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा परिशिष्ट ''ब'' निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

(विवेक व्यास)
भू-अभिलेख अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 26.05.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

26.5.2023

उप खण्ड अधिकारी
भू-अभिलेख अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:20:48 IST
Reason: SelfAttested